ना स्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म०प्र०

प्र '2018 रीविजन निगरानी- 5082/2018/उज्जैन/भू.रा.

सत्यनारायण पिता भंवरलालजी जाति जाट

निवासी ग्राम– सिमलावदा तह.बड़नगर ———आवेदक

विरूद्ध

01. गिरधारी पिता नगजी जाति गारी

02. मोहन पिता नगजी जाति गारी

03. नारायण पिता नगजी जाति गारी

निवासीगण ग्राम– सिमलावदा तह.बड़नगर ——अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय नायबं तहसीलदार तहसील बड़नगर के प्रकरण कमांक – 0006/अ–13/17–18 मे पारित आदेश – दिनांक – 31/3/2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर पुनरीक्षण याचिका.

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता का धारा 11 का आवेदन निरस्त करने मे घोर वैधानिक त्रुटी की है ।

02. यह कि पूर्व मे समान तथ्यो व समान पक्षकारो के बीच मे प्रकरण कमांक– 88बी–121/16–17 आदेश दिनांक 17/7/17 के माध्यम से प्रकरण मे उल्लेखित तथ्यो का निराकरण हो चुका है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता का धारा 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने मे घोर वैधानिक त्रुटी की है ।

03. यह कि प्रत्यथी द्वारा पूर्व मे याचिकाकर्ता के भूमि सर्वे नंबर 264 स्थित ग्राम सिमलावदा के पश्चिमी मेड़ से रास्ता मांगा गया था उक्त आवेदन दिनांक 17/7/2017 को निरस्त कर दिया था किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 11 का आवेदन जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पूर्व मे प्रचलित प्रकरण

सत्यनारायण

निरंतर..................02

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5082/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष वैस उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3	